महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका आज लेंगे शपथ

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमेन डेका बुधवार 31 जुलाई को सबेरे 10.15 बजे राजभवन रायपुर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करेंगे।

इन स्थानों में 31 जुलाई को होगा आधार, आयुष्मान, श्रम और पीएम विश्वकर्मा पंजीयन शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले में 31 जुलाई बुधवार को आधार कार्ड अपडेट, आयुष्मान, श्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पंजीयन शिविर सारंगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पिकरी, परसाडीह, मल्दा, तिलाईमुड़ा, सालर, जेवरा, सारंगढ़ के वार्ड 07 में और बरमकेला ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कोतरा, खैरगढ़ी, केनाभांठा, डभरा, खरवानी वार्ड 3, साल्हेओना, डोंगरीपाली, गौरडीह, रिसोरा, बोरे, पोरथ में शिविर आयोजित होगा। इसी प्रकार बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्राम खजरी, रिकोटार, रामपुर, लिमतरी, बिलासपुर और भटगांव में शिविर आयोजित होगा। इन सभी कार्यों के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान हितग्राहियों से किया जाएगा।

डॉ एफ आर निराला जिले के पुनः बने सीएमएचओ

सारंगढ़ बिलाईगढ़। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश के पालन में जिले के प्रभारी सीएमएचओ का पदभार चिकित्सा अधिकारी डॉ एफ आर निराला ने ग्रहण किया है, वहीं जिले के अब तक रहे प्रभारी सीएमएचओ डॉ अवधेश पाणीग्राही को प्रभारी सीएमएचओ सक्ती स्थानांतरित किया गया है। दोनों सीएमएचओ का जिले के स्वास्थ्य सुधार में अहम योगदान है। डॉ निराला पूर्व में भी जिले के सीएमएचओ रह चुके हैं जिससे जिले के कामकाज में प्रगति रहेगी।

राज्य में अब तक 551.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 551.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से 30 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1325.5 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 205.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1236 मिलीमीटर है।

निगम ने अभियान चलाकर निगम क्षेत्र में 120 आवारा मवेशियों को सडक़ो से पकड़कर गौठान भेजा

रायपुर (आरएनएस)। उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा निर्देश अनुरूप रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम के सभी 10 जोनो द्वारा सडक़ मार्गो में काउकेचर एवं विशेष टीम के श्रमवीरो की सहायता से आवारा मवेशियों की धरपकड़ करने अभियान सतत निरंतर जारी है। अभियान के तहत आज जोन 1 की टीम द्वारा 14, जोन 2 की टीम ने 14, जोन 3 की टीम ने मार्गो से 3 आवारा मवेषियों की धरपकड़ कर गौठान में छोडा। जबकि जोन 4 ने 9 और जोन 5 ने 12 आवारा मवेशियों की धरपकड़ की। जोन 6 की टीम ने 11 आवारा मवेशियों की धरपकड़ की। जोन 7 ने 11, जोन 8 ने 16, जोन 9 ने 17 आवारा मवेशियों की धरपकड़ की। जोन 10 से 13 आवारा मवेषी की धरपकड़ काउकेचर वाहन एवं विशेष टीम की श्रमवीरों की सहयोग से करते हुए उन्हें गौठान छोड़ा। आज अभियान के तहत जोनों की काऊकैचर टीमों ने कुल 120 आवारा मवेशियों की धरपकड़ की आवारा मवेशियों की धरपकड़ का अभियान सतत निरंतर जारी रहेगा।

डेंगू के रोकथाम के लिए शहर में जन-जागरूकता के साथ सोर्स रिडक्शन के दोहरे मोर्चे पर करना होगा काम- कलेक्टर

डेंगू एवं मलेरिया रोकथाम के संबंध में कलेक्टर ने ली स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम की बैठक, दिए एहतियाती निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में रायगढ़ शहर में डेंगू के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग व नगरीय निकाय की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। कलेक्टर गोयल ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ सोर्स रिडक्शन के दोहरे मोर्चे पर एक साथ काम करना होगा। इसके लिए शहर के ऐसे वार्ड जो ज्यादा प्रभावित है, वहां घर-घर जाकर सोर्स रिडक्शन का कार्य करना होगा। कलेक्टर गोयल ने इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि डेंगू लार्वा अमूमन साफ पानी में, घर के छतों में पड़े खाली टायर, गमले, प्लास्टिक कंटेनर, फ्रिज के ट्रे आदि में पानी जमा रहने पर पनपता है। लोगों को इसके लिए जागरूक करते हुए उन्हें नियमित रूप से ऐसे जगहों पर जमा पानी को खाली करने हेतु प्रेरित करना है। जितना ज्यादा सोर्स रिडक्शन होगा उतनी जल्दी डेंगू नियंत्रण में आयेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकाय के साथ महिला बाल विकास की टीम को प्रभावित वार्डो में सघन जांच करने व टेमिफॉस दवा के छिड़काव के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम आयुक्त को नियमित साफ-सफाई, कचरे के उठाव किए जाने को लेकर निर्देशित किया।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी, सीएमएचओ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

डेंगू के लक्षण- डेंगू के लक्षण होने पर अचानक तेज सिर दर्द व तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, आंख के पीछे दर्द होना, जी मचलाना एवं उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक, मुंह एवं मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकते उभरना जैसे लक्षण पाये जाते है। इस तरह के लक्षण पाये जाने पर निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र /मितानिन/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचित करें एवं त्वरित जांच कर इलाज कराए।

क्या करना चाहिए- बारिश के बाद अपने घर के आसपास पानी जमा होने की जांच करें। सभी पानी के कंटेनरों/ओवरहेड टैंकों आदि को ठीक से ढककर रखें। हफ्ते में एक बार घरों, कार्यालयों, कारखानों, स्कूलों आदि में सभी कूलरों और कंटेनरों को साफ कर के सुखाएं। हर हफ्ते फ्रिज की पिछली ट्रे में पानी जमा होने की जांच करें और उन्हें अच्छे से सुखाएं। पक्षियों और जानवरों को खिलाने वाले बर्तन डेंगू का कारण बनने वाले मच्छर के प्रजनन का संभावित स्रोत हैं इसलिए इन्हें स्क्रब से साफ करें और हर हफ्ते पानी बदले। मच्छरों के काटने से बचने के लिए दिन के समय खुले हिस्सों पर मच्छर निरोधक का प्रयोग करें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े और लंबे कपड़े व पतलून पहनें जो हाथ और पैरों को ढकें। मच्छरों को दूर रखने के लिए जालीदार दरवाजे व खिड़कियां, मच्छर कॉइल वेपरमैट आदि का उपयोग करें। दिन के समय विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उपरोक्त किसी भी तरीके से डेंगू के मरीजों को मच्छर के काटने से बचाएं। सुनिश्चित करें कि ईमारतों के आसपास के जमीनी क्षेत्रों में, छत पर कोई जलजमाव न हो और खुले स्थानो पर कोई टूटा हुआ फर्नीचर या कबाड़ न हो।

क्या नहीं करना चाहिए- टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, बोतलें, गमले, फूलदान आदि को बाहर या छतों पर इक_ा न होने दें। उपयोग में न होने पर डेजर्ट कूलर में पानी न छोड़ें। फूलों के गमलों के नीचे प्लेटें न रखें। पानी को बिना ढके या ठीक से ढके हुए कंटेनरों और टैंकों में न रखें। घरों, वर्कशॉप, गोदामों आदि के बाहर टायर न रखें। नारियल पानी पीने के बाद नारियल के छिलकों को खुले में न फेंके, क्योंकि इन छिलकों में बारिश का पानी जमा हो सकता है, जिससे मच्छर पनप सकते हैं। गिलास, कप, प्लेट, कुल्हड़ आदि जैसी डिस्पोजेबल वस्तुओं को खुले में न फेंकें क्योंकि इन वस्तुओं में भी पानी जमा होने से मच्छरों के प्रजनन का खतरा हो सकता है। डेंगू बुखार के रोगियों को एस्पिरिन और ब्रूफेन न दें, प्लेटलेट्स बहुत कम होने पर रक्त स्राव हो सकता है इसलिए टेबलेट पेरासिटामोल का उपयोग बुखार और शरीर दर्द के लिए किया जा सकता है।

जमीन फर्जीवाड़ा : ठेकेदार जवाहर अग्रवाल सहित 2 को 7 साल की कैद

कोरबा | आरएनएस

कोरबा जिले में एक आदिवासी ग्रामीण की ज़मीन को गैर आदिवासी के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर किंतु अपने स्थान पर अपने पिता की फोटो चिपका कर उप पंजीयक के समक्ष फर्जी रजिस्ट्री कराने और उक्त भूमि गैर आदिवासी के नाम बाजार भाव से 1/20 गुना कम दर पर बेचने के मामले में न्यायालय ने सजा और अर्थदण्ड से आरोपित किया है। ग्राम दादर की ज़मीन फर्जीवाड़ा में जवाहर अग्रवाल और उसके साथी राजेंद्र प्रसाद यादव को विशेष न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में अधिकतम 7 साल की सजा से दंडित किया है।

प्रकरण के प्रार्थी रामसाय उरॉव पिता-दोदरो, उम्र 70 वर्ष, निवासी-दादरखुर्द (कदमखार) के द्वारा कलेक्टर कोरबा को आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि कि उसके हक की जमीन खसरा नंबर 626 रकबा 1 एकड को आरोपी रामसाय पिता दोन्द्रो यादव दादरखुर्द एवं राजेन्द्र यादव पिता कालीचरण यादव, निवासी-दादरखुर्द के द्वारा दशरथ उरांव के स्थान पर खड़ा कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए उप-पंजीयक कार्यालय कोरबा से रजिस्ट्री कराया गया है। जिला दण्डाधिकारी कोरबा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से टीम गठित कर विवादित भूमि का जाँच कराया गया। जाँच पर पाया गया कि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर रामसाय पिता दोंदरों निवासी कदमहाखार जाति उरॉव के जमीन को रामसाय पिता दोंदरो यादव की भूस्वामी बनाकर अनुसूचित जनजाति की जमीन को फर्जी तरीके से अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल पिता चंदगीराम अग्रवाल के नाम पर रजिस्ट्री कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पर अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद यादव पिता कालीचरण यादव, कमल नारायण पटेल पिता गंगाधर पटेल को गिरफ्तार किया गया। इस बीच अभियुक्त कमलनारायण पटेल की रिमाण्ड अवधि में 18.02.2015 को मौत हो गयी। परदेशीराम यादव पिता बिशाहूराम यादव की मृत्यु 31.12.2014 को हो गई। अपराध विवेचना के दौरान अभियुक्त राजेन्द्र यादव, कमल नारायण को 09-01-2015 को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। अभियुक्त कमल नारायण पटेल की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में 15-02-2015 को मौत हो गई।

न्यायालय ने दोषी पाया- प्रकरण के विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित हुआ कि मृतक परदेशी राम यादव ने अभियुक्त राजेन्द्र यादव एवं अभियुक्त जवाहर लाल अग्रवाल एवं गवाह कमल नारायण (वर्तमान समय में मृतक) एवं मोहन लाल शर्मा (वर्तमान समय में मृतक) के साथ एक राय होकर रामसाय यादव के रूप में प्रतिरूपण करते हुये पीड़ित रामसाय उरॉव के साथ छल किया। छल-कपट एवं प्रतिरूपण द्वारा दोनों अभियुक्तगण अर्थात राजेन्द्र यादव एवं जवाहर लाल अग्रवाल द्वारा अन्य मृतकगणों के साथ एक राय होकर मूल्यवान प्रतिभूति अर्थात विक्रयनामा का कूटरचना द्वारा निर्माण किया गया। इस आधार पर विभिन्न धाराओं में विशेष न्यायाधीश(एक्ट्रोसिटी) जयदीप गर्ग ने सजा सुनाई है।

नकली होलोग्राम मामले गिरफ्तार अनवर ढेबर-एपी त्रिपाठी को रायपुर लाने की तैयारी

ईडी ने यूपी पुलिस को भेजा प्रोडक्शन वारंट

रायपुर | आरएनएस

केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नकली होलोग्राम मामले में मेरठ जेल में बंद शराब कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आबकारी अफसर अरुणपति त्रिपाठी को रायपुर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजा गया है। हालांकि, अनवर और अरुणपति के वकीलों ने इस वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही ईडी उन्हें रायपुर ला सकेगी।

बता दें कि अनवर और अरुणपति मेरठ जेल में न्यायिक रिमांड पर हैं, जबकि यूपी एसटीएफ ने तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई लोगों से पूछताछ की है और अनवर और अरुणपति से मिली जानकारी की पुष्टि करना चाहती है। कानूनी जानकारों के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के बिना उन्हें रायपुर नहीं लाया जा सकता। यूपी पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद ही उन्हें रायपुर लाना संभव होगा। इसमें एक से डेढ़ माह का समय लग सकता है।

सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में जनसमस्या निवारण शिविर आज

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जनसमस्या निवारण शिविर 31 जुलाई 2024 को नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के तुर्की तालाब रंगमंच में वार्ड 3 और 4 के लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित है। सारंगढ़ में उत्तम सिंह कंवर उप अभियंता मो. नं. 9479036791 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ में 31 जुलाई 2024 को वार्ड 1,2,3 और 15 के लिए जनसमस्या निवारण शिविर बिलाईगढ़ के कहार समाज भवन टिकरापारा में आयोजित होगा। इस जनसमस्या निवारण शिविर में नल कनेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, सभी प्रकार के पेंशन, कर भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण, नल लीकेज, नलों में पानी नहीं आना, नालियों और गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फुटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे भरना, बिजली खंभों की लाइट, का बंद रहना आदि कार्यों का निराकरण किया जाएगा।

टिमरलगा में 31 जुलाई को होगी टीबी और मौसमी बीमारी की जांच

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 30 जुलाई 2024/ कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देशन में जिले के खनिज और स्वास्थ्य विभाग तथा क्रेशर उद्योग समूह के सामूहिक योगदान से माइनिंग क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए बुधवार 31 जुलाई को टिमरलगा उप स्वास्थ्य केंद्र में शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में टीबी स्क्रीनिंग आउटरीच एवं मौसमी बीमारी का इलाज किया जाएगा। यह स्वास्थ्य शिविर सुबह 11 बजे से समाप्ति तक संचालित होगा। इसमें संबंधित समस्त आरएचओ महिला एवं पुरुष, सीएचओ पर्यवेक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य चिकित्सा सहायक अविनाश , गिरिजा लहरे, दिनेश और सरिता बरेठ शामिल होंगे।

अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना हेतु मंगाए गए आवेदन

महिला समूहों को भी मिलेगी प्राथमिकता

रायगढ़

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोडऩे हेतु छ.ग.शासन द्वारा अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संचालित करने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। साथ ही महिला समूह के महिलाओं को भी इस योजना में विशेष रूप से प्राथमिकता देकर अधिक से अधिक संख्या में महिला समूहों को लाभान्वित किया जाना है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 94 में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते है। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

योजना में पात्रता एवं शर्तें-

इस योजना के लिंए आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सरपंच/पार्षद एवं आय प्रमाण-पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है।

किसानों को मिला 5818 करोड़ रूपए से अधिक का अल्पकालीन कृषि ऋण

गत् वर्ष की तुलना में अब तक 106 प्रतिशत कृषि ऋण वितरीत

रायपुर | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को अब तक राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से 5818 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7300 करोड़ रूपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक वितरित कुल राशि लक्ष्य का लगभग 80 प्रतिशत है। किसानों को उनके मांग और रकबे के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है। जबकि पिछले वर्ष आज की स्थिति में 5 हजार 493 करोड़ रूपए के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किए गए थे।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेती-किसानी की प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने तथा खेती-किसानी में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना प्रारंभ किए गए थे। इसके अलावा किसानों को साहूकारों के चंगुलों से बचाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। वर्तमान समय में इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लाखों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इससे किसानों को प्रारंभिक जरूरतों के लिए न सिर्फ राहत मिली है, बल्कि फसलों के उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है।

किसानों को 8.64 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित- प्रदेश के किसानों को चालू खरीफ सीजन में विभिन्न फसलों की बोनी के लिए सरकारी समितियों एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से सुगमता के साथ प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक किसानों को विभिन्न खरीफ फसलों के 8 लाख 64 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण किए गए हैं, जो कि राज्य में बीज की मांग का 88 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि राज्य में खरीफ की विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की कुल मांग 9 लाख 78 हजार क्विंटल है, इसके विरूद्ध 9 लाख 78 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज भण्डारण किया जा चुका है, जो कि बीज मांग का 97 प्रतिशत है। किसानों को अब तक 8.64 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया है, जो मांग का 88 प्रतिशत है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मुख्यमंत्री साय की पहल से जिले में स्थापित होगा प्रदेश का पांचवां विद्युत 400 केव्ही सबस्टेशन

कुनकुरी के हर्राडांड़ में 18.20 एकड़ भूमि कलेक्टर ने की आबंटित

बिजली आपूर्ति में बाधा और लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगी मुक्ति

जशपुरनगर | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जिले में 400 केव्ही विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। सब स्टेशन स्थापित करने के लिए कुनकुरी ब्लाक के हर्राडांड़ में 18.20 एकड़ भूमि राज्य विद्युत वितरण कंपनी को कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने आबंटित कर दिया है। विद्युत विभाग के डीई एन आर भगत ने बताया कि इस सब स्टेशन के बन जाने से जिले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में आमूलचूल सुधार आएगा। उन्होनें बताया कि फिलहाल जिले में 132 केव्ही लाइन में बिजली की आपूर्ति बिलासपुर स्थित सब स्टेशन से होती है। दूरी अधिक होने के कारण तकनीकि समस्या आती रहती है। जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। कई बार लो वोल्टेज की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। उन्होनें बताया कि इस सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से ये सारी समस्याएं बीते दिनों की बात हो जाएगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड को होने वाली बिजली आपूर्ति भी सुचारू और बेहतर हो सकेगी। जिले में सब स्टेशन बन जाने से झारखंड जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन की गुणवत्ता में सुधार आ सकेगा। जिससे वहां के उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।उल्लेखनिय है कि जिले में बुनियादी सुविधा पानी,बिजली,स्वास्थ्य,शिक्षा और सडक़ में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से काम कर रही है। बीते 8 माह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले में 220 बिस्तर वाले सर्वसुविधा अस्पताल की स्वीकृति के साथ ही जिले को 7 विशेषज्ञ चिकित्सक मिल चुके हैं। इसके साथ ही कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केन्द्र और मयाली नेचर कैम्प को देश के पर्यटन नक्शे में लाने के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति केन्द्र सरकार दे चुकी है।

विद्युत व्यवस्था दुरस्त करने जिले में स्थापित हुए 176 नए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर- आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में विद्युत वितरण व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन तेजी से काम कर रही है। डीई भगत ने बताया कि जिले में विद्युत व्यवस्था को सुधार के लिए जिले को अतिरिक्त 274 ट्रांसफार्मर की स्वीकृति मिली हैं। इनमें से 176 ट्रांसफार्मर को लगाया जा चुका है। बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लाइन और ट्रांसफार्मर को मेन्टेनेंस पर जोर दिया जा रहा है। खराब मौसम सहित अन्य कारणों से फाल्ट आने पर विद्युतकर्मी तत्काल इसमें सुधार के लिए पहल करते हैं। इसके लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अल्ट रखा गया है।साथ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।जिससे जिले की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से सप्लाई की जा सके।